Sahitya Samhita (साहित्य संहिता)
Available at http://www.sahityasamhita.org/
ISSN 2454-2695
Volume 04 Issue 08
AUGUST 2018

महिला सशक्तिकरण पर लेख

मनोज यादव

परिवारों में एक साथ कई भूमिकाएं निभाते हुए महिलाएं अपनी श्रेष्ठता साबित करने में कामयाब रही हैं लेकिन फिर भी उनकी स्थिति सामाजिक एवं आर्थिक सभी मोर्चों पर चिंताजनक है एवं दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में वे दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे परिदृश्य में उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महिला सशक्तिकरण समन्वित विकास के लिए जरूरी है: महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी देश के भविष्य की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वे अपने परिवारों के प्रबंधन के साथ-साथ अपने परिवारों की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति में भी योगदान देने के लिए कठिन परिश्रम करती हैं और इस प्रकार दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। कभी भी कोई अपने परिवार मे माँ, बहन या बेटी की भूमिका के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ महिलाएं सफलतापूर्वक अपना उल्लेखनीय स्थान बनाने में कामयाब हुई हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं अपने समकक्षों की तुलना में केवल मुट्ठी भर ही हैं।

खेलों में असाधारण प्रदर्शन: विभिन्न अतर्राष्ट्रीय मंचों पर, महिलाओं ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वे अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में किसी भी मायने में कम नहीं हैं। अभी हाल ही में आयोजित रियो ओलंपिक में यह बात साबित हो चुकी है। कोई भी रियो के सितारों–साक्षी मल्लिक, पीवी सिंधु या दीपा कर्माकर को नहीं भुला सकता जिन्होंने कदम-कदम पर लैंगिक बाधाओं को सफलतापूर्वक तोड़ते हुए पूरी दुनिया के सामने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ाया। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे पुरुषों के वर्चस्व वाले देश में, इन महिलाओं के लिए विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुए दुनिया भर में अपना नाम कमाना एवं ऐसे उच्च स्थानों तक पहुंच कर ख्याति अर्जित करना कितना मुश्किलों से भरा सफर रहा होगा।

भेदभाव के शिकार: भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचलित भेदभाव एवं पुरुषों के वर्चस्व की वजह से महिलाओं का उनके परिवारों एवं यहां तक कि पूरे समाज में दमन का सामना करना पड़ा है। समय-समय पर उन्हें हिंसा एवं परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के भेदभावों का

ISSN 2454-2695
Volume 04 Issue 08
AUGUST 2018

भी सामना करना पड़ता रहा है। दुनिया के कई अन्य देशों में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। कुछ यूरोपीय देशों को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर देशों में भारत के समान ही महिलाऐं गंभीर लैंगिक भेदभाव की शिकार हैं।

बहुत दूर है मंजिल: ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं की स्थिति और भी बुरी है और साथ ही अर्थव्यस्था में उनका योगदान भी नगण्य है। हालांकि वे देश की आबादी का लगभग 50% है लेकिन उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं और इस वजह से उन्हें उनकी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन करने का मौका भी नहीं मिल पाता। इन हालातों में, हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जबतक हम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सही मायनों में प्रयास ना करें। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

परिवर्तन की ओर: महिलाओं को हर धर्म में एक विशेष दर्जा दिया गया है उसके बावजूद सदियों से समाज में महिलाओं के खिलाफ कई बुरी प्रथाएं प्रचलन में रही हैं। लेकिन अब सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो चुका है और पितृसत्तात्मक प्रणाली धीरे-धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। महिलाएं अब खुद के लिए सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों, जैसे कि काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निर्णय करने का अधिकार, आदि की मांग कर रही हैं। विभिन्न सरकारों ने महिलाओं की मदद के लिए कई संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी लागू किए हैं, ताकि महिलाएं एक सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें।

अब महिलाओं की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और इस दिशा में प्रयासरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अभिर्भाव इसका प्रमाण है। व्यक्तिगत स्तर पर भी महिलाएं अब दमन के बंधनों को तोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं।

भारत की संसद ने भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के अन्यायों एवं भेदभाव से बचाने के लिए कई कानून पारित किए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पारित इन कानूनों में कुछ इस प्रकार हैं-- समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, चिकित्सीय गर्भ समापन कानून 1971, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सती निवारण आयोग अधिनियम-1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम -2006, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1994 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013।

ISSN 2454-2695
Volume 04 Issue 08
AUGUST 2018

अभी हाल ही में, दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के बलात्कार एवं नृशंस हत्या से जुड़े निर्भया केस के मद्देनजर, सरकार ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक-2015 पारित किया है। यह अधिनियम पुराने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2000 में परिवर्तन करके बनाया गया है जिसके अंतर्गत अब अपराध के लिए सजा दिए जाने के लिए निर्धारित किशोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।

निष्कर्ष- यदि हम सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो, पुरुष श्रेष्ठता और पितृसत्तात्मक मानसिकता का उन्मूलन किया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए बिना किसी भेदभाव के शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति सामाज में व्यावहारिक परिवर्तन लाए बिना केवल उन्हें कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्रदान करना अपर्याप्त ही साबित होगा।